"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 445] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई 2019 — आषाढ़ 27, शक 1941

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 (आषाढ़ 27, 1941)

क्रमांक-8239/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 15 सन् 2019) जो गुरुवार, दिनांक 18 जुलाई, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 15 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2019

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 की उप-धारा (1) में,-

(क) खण्ड (ञ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ञ) "अपवर्जित परिवार" से अभिप्रेत है ऐसा परिवार, जिसे इस अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा किसी पात्रता के लिये अपात्र अधिसूचित किया जाये;

(ख) खण्ड (य) का लोप किया जाये.

धारा 15 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (4) में,-

(क) कोलन चिन्ह ":" के स्थान पर, पूर्ण विराम चिन्ह "।" प्रतिस्थापित किया जाये.

(ख) प्रथम परंतुक का लोप किया जाये.

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत:, राज्य सरकार द्वारा अपने मंत्रिपरिषद् की बैठक में राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के लिये, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) की सुसंगत धाराओं में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है.

और यत:, उपरोक्त के परिणामस्वरूप, राज्य में निवासरत सभी परिवारों की खाद्यान पात्रता के निर्धारण हेतु इस अधिनियम में उल्लिखित अपवर्जित श्रेणी के परिवारों को सामान्य श्रेणी का राशन कार्ड प्रदान किया जा सकेगा.

अतएव, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्र. 5 सन् 2013) में संशोधन करना प्रस्तावित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 16 जुलाई, 2019

अमरजीत भगत
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

वित्तीय ज्ञापन

राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन के संबंध में छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है. छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 की धारा 15 (4) में अपवर्जित श्रेणी के परिवारों का उल्लेख किया गया है तथा धारा 2 की उपधारा (1) (ञ) में अपवर्जित परिवार की परिभाषा दी गई है. अपवर्जित श्रेणी के परिवारों को 35 किग्रा चावल प्रतिमाह की पात्रता निर्धारित किये जाने पर रु. 446 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आना संभावित है.

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

उपाबंध

छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 क्र. 5 सन् 2013 की धारा 2 की उपधारा (1) (ञ), (1) (य) एवं धारा 15 की उपधारा 4 का सुसंगत उद्धरण :-

धारा 2 की उपधारा (1) (ञ) "अपवर्जित परिवार" से अभिप्रेत है परिवार जो इस अधिनियम के अधीन किसी पात्रता के लिए पात्र नहीं हैं;

धारा 2 की उपधारा (1) (य) "पक्का मकान" से अभिप्रेत है ऐसे मकान जिनकी छत सीमेंट-कांक्रीट से निर्मित हो;

धारा 15 की उपधारा (4) धारा 14 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, उपधारा (2) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत पात्रताओं के संबंध में परिवारों के अपवर्जन का मानदण्ड समय-समय पर विहित कर सकेगी :

परंतु निम्नलिखित श्रेणियों के सभी परिवार अपवर्जित परिवार के रूप में निर्दिष्ट होंगे, अर्थात् :-

(क) समस्त ऐसे परिवार जिनके मुख्या या परिवार का कोई अन्य सदस्य आयकर दाता है;

(ख) गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि या 8 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि धारक समस्त ऐसे परिवार;

(ग) समस्त ऐसे परिवार जो नगरीय क्षेत्रों में ऐसा पक्का मकान धारित करते हैं जो एक हजार वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल का हो, तथा/या स्थानीय निकाय के प्रचलित नियमों के अनुसार संपत्ति कर के भुगतान हेतु दायी हो;

(घ) विहित किए गए मानदंडों के अनुसार ऐसे अन्य परिवार, जिन्हें अपवर्जित किया जा सकेगा.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019